

फर्द अहकाम

(नियम-26)

राज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
रेवंताराम पुत्र केसरा जाति कुम्हार, निवासी कोलू तहसील बायतु, जिला बालोतरा		सवाईराम पुत्र केसरा जाति कुम्हार, निवासी कोलू तहसील बायतु, जिला बालोतरा वगौरा (15)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53, 188)

मुकदमा नम्बर 295/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.12.2025	<p>प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.01.26 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
16.01.26	<p>पत्रावली पेश हुई। वाद/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 6.3.26 को पेश हो।</p>	
6.3.26	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीछसीन अधिकारी के दौरे पर पत्रावली पेश होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.4.26 को पेश हो।</p>	
23.04.26	<p>पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण की नामिती हेतु दिनांक 11.05.26 को पेश हो।</p>	

*(Signature)*  
सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

11.05.26

पत्रावली पेशा वादी वकील उपस्थित।  
प्रतिवादी बालराम गोपाल द्वारा प्रतिवादी संख्या  
1 की ओर से वकालतनामा पेशा पत्रावली  
वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब तथा  
शेख की नामिली हेतु दिनांक 14.05.26  
में पेशा हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

14.05.26

पत्रावली पेशा वाकुलम उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब  
तथा शेख की नामिली हेतु दिनांक 21.5.26  
को पेशा हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

No Instruction  
Plead



21.05.2021

21.05.26

पत्रावली पेशा वादी वकील उपस्थित।  
वादी वकील द्वारा पत्रावली में जैसी की  
हिदायत नहीं होने पर No Instruction  
Plead किया गया। चूंकि पत्रावली नामिली  
तथा जवाब की प्राथमिक स्टेज पर  
है तथा वादी वकील द्वारा भी No  
Instruction Plead किया गया है। अतः  
इस पत्रावली में वादी वकील द्वारा  
No Instruction Plead करने तथा  
पत्रावली नामिली की स्टेज पर होने के  
कोई प्रभाव पेशा नहीं होने से इस  
बाद इसी स्टेज पर खालिज किया जाता  
है।

पत्रावली नम्बर से कमा. शेख  
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)